Ref No. 1PE/19/14 5

24/04/2025

स्चना

विषय: छात्रवृति/अन्य भुगतानों के लिए स्वयं के बैंक खाते का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य

यह देखा गया है कि कुछ छात्र छात्रवृत्ति या अन्य भुगतानों के लिए किसी अन्य व्यक्ति (तृतीय-पक्ष) के बैंक खाते का विवरण जमा कर रहे हैं। यह संस्थान के नियमों का गंभीर उल्लंघन है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे केवल अपने नाम से खुले बैंक खाते का प्रमाणपत्र ही जमा करें। यदि खाता छात्र के पंजीकृत नाम से मेल नहीं खाता है, तो भुगतान नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर छात्रवृति/भुगतान रोक दिया जाएगा, तथा संस्थान के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश का सख्ती से पालन करें। सभी सम्बंधित कृपया नोट करें।

NOTICE

Subject: Mandatory Submission of Self-Attested Bank Account Proof for Scholarship/Other Payments

It has come to our notice that some students are submitting bank account details of other individuals (third-party accounts) for scholarship or other payments. This is a serious violation of the institute's rules and will not be tolerated under any circumstances.

All students are hereby directed to submit bank account proof in their own name only. Payments will not be processed for accounts not matching the student's registered name. Failure to comply will result in Withholding of scholarship/dues and disciplinary action will be taken as per Institute's norms.

Strict adherence to this directive is expected. All concerned may please note the same.

(प्रो॰ संदीप तिवारी) प्राचार्य (कार्यवाहक